न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या – 2024/4

सिविल प्रकरण संख्याः– 2/2024 तारीख रजू 24.01.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।
आवेदक

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री नेमनराम, वेण्डर ऑफ मैसर्स सत्यनारायण शर्मा फूड–स्टॉल सं. 01, पीएफ–2/3, सवाई माधोपुर जं./प.म.रे.। घर का पता– मानसरोवर कटले के पास, ग्रेन गोदाम रोड, बजरिया, सवाई माधोपुर (राज.) 322001 (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मैसर्स श्री सत्य नारायण शर्मा फूड स्टॉल नं01, पीएफ–2/3, सवाईमाधोपुर जं./प.म.रे. (फर्म)
3. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिकृत व्यक्ति मैसर्स सत्यनारायण शर्मा फूड–स्टॉल सं. 01, पीएफ–2/3, सवाई माधोपुर जं./प.म.रे.। (अधिकृत व्यक्ति/प्रोपराईटर)
4. Bikaji Foods International Ltd. E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592, Karni Extention RIICO Industrial Area, Bikaner (Raj.)-334004 (निर्माता कम्पनी)
5. Bharat Kumar Sukhija S/o Shri Gordhan Das Sukhija Nominee of Bikaji Foods International Ltd E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592, Karni Extention RIICO Industrial Area, Bikaner घर का पता– 11/157, मुक्ता प्रसाद कोलोनी, बीकानेर (राज.) – 334004 (प्रोप./लाईसेंसी)

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स –2011

निर्णयः– **दिनांक 08/10/2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश राठौर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.02 2023 को समय 11.45 बजे मैसर्स सत्यनारायण शर्मा फूड स्टॉल नं. 01, पीएफ–2/3, सवाई माधोपुर जं./प.म.रे. का निरीक्षण किया। जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश कुमार खाद्य पदार्थ "Bikaji Bikaneri Bhujia" की बिक्री कर रहे थे, उनको अपना परिचय दिया। आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ "Bikaji Bikaneri Bhujia" में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 400 ग्राम के कुल 04 शील्ड पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 480/–रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ "Bikaji Bikaneri Bhujia" मात्रा 400 gram के 4 शील्ड [illegible] 04 प्लास्टिक जार में रखकर प्रत्येक प्लास्टिक जार में एक 01 शील्ड पैकेट रखकर [illegible] प्लास्टिक जार को पैक किया गया। इसके पश्चात नमूने का लेवल तैयार कर [illegible] एवं खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कारोबारकर्ता राजेश कुमार एवं गवाह श्री बनवारी लाल मीना ने हस्ताक्षर किये। अभीहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–1100 दर्ज किया। इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1100 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। कारोबारकर्ता राजेश कुमार को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला से करवाना चाहते हैं। लेकिन कारोबारकर्ता राजेश कुमार ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया। कारोबारकर्ता राजेश कुमार को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त खाद्य सामग्री उसने कहां से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता राजेश कुमार द्वारा इस संबंध में ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' की खरीद का कोई बिल घटना स्थल पर प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता राजेश कुमार, गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 22.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/284/एक्ट/2023/345 दिनांक 15.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' का नमूना Mis-branded पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Mis-branded खाद्य पदार्थ ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता [illegible] तथा प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में [illegible]

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान [illegible] प्रकृति में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' Mis-branded प्रकृति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 ने पेश किये गये जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी संख्या 1 मैसर्स सत्यनारायण शर्मा फूड स्टॉल नं. 1 प्लेटफार्म नं. 2 व के अधीन वेन्डर के रूप में खाद्य सामग्री बेचने का कार्य करता है प्रार्थी संख्या 1 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.02.2023 को बीकाजी भुजिया का नमूना लिया था जिसे प्रार्थी सं0 1 ने चीजनदास सन्तुमल फर्म से खरीद किया था। आवेदक ने उक्त बिल की फोटो प्रति नहीं ली व कथन किया कि आपसे जो सेम्पल प्राप्त किया है वह बीकाजी फूड इन्टरनेशनल बीकानेर का है। आवेदक ने प्रार्थी सं0 1 को आश्वस्त किया कि आवेदक जांच के दौरान मूल बिल चीजनदास सन्तुमल से प्राप्त कर लेंगे। इस कारण आवेदक प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार नहीं कर सकता है आवेदक द्वारा उत्तरदाताओं के विरूद्ध जानबूझ कर गलत मकसद से कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 के यहां अपने स्टॉल पर बेचान किये जाने वाली समस्त सामग्री को सुरक्षित रूप से शीशे की अलमारियों में रखा जाता है और कथित सेम्पल को भी सुरक्षित स्थान पर ही केश में अन्दर रखा था तथा स्टॉल के ऊपर अपनी छत है जिसमें खाद्‌य सामग्री सुरक्षित रहती है जिस कारण स्टॉल पर धूप व वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पडता है। उक्त खाद्‌य सामग्री प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के यहां से ही मिसब्राण्ड फर्म चीजनदास सन्तुमल को सप्लाई की गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 ने कथित खाद्‌य सामग्री बीकाजी बीकानेरी भुजिया फर्म चीजनदास सन्तुमल से जरिये बिल खरीद की थी इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 पर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 4 लगायत 5 के द्वारा M/S Alkem Laboratories Ltd. Vs The State of Madhya Pradesh on 29 November, 2019 एवं Virendra Hirabhai Rathod Vs Sathishkumar Manubhai Nayak & --- on 9 December, 2014 की रूलिंग पेश कर प्रकरण में लिखित बहस निम्नानुसार पेश की गई–

1. यह कि आवेदक द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 लगा. 5 क विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य के आरोप पत्र मय दस्तावेज 1 लगायत 56 प्रस्तुत किए हैं, जबकि आवेदक उक्त एक्ट के नियम सं0 26(4) के नियम परन्तुक की अनिवार्य शर्त को पूर्ण रूप से ज्ञान है कि आवेदक के द्वारा कथित जब्त सामग्री प्रतिवादी सं0 4 एवं 5 के द्वारा बेचान की गई हो इस बाबत कोई भी बिल, कैशमेमो या बीजक नहीं है, इस कारण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं0 4 एवं 5 को धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ0एस0एस0 एक्ट, 2006 रूल्स, 2011 के अधीन पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।

2. यह कि आवेदक के द्वारा अपने आरोप पत्र के साथ अप्रार्थी सं0 4 व 5 के द्वारा कथित सामग्री का बेचान किया गया हो, इस बाबत साक्ष्य नहीं होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। अप्रार्थी सं0 4 व 5 को विधि विरूद्ध पक्षकार बनाया गया है।

3. यह कि परिवादी के द्वारा कथित क्रय सामग्री का बेचान 1 लगा. 3 को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है। बल्कि अप्रार्थी सं0 1 लगा. 3 के द्वारा अप्रार्थी सं0 4 व 5 [illegible] नुकसान पहुंचाने के लिए हूबहू, गलत डुप्लीकेट पैकिंग का माल बेचा हैं। इस कार[illegible] के द्वारा अपने आवेदन के मद सं0 8 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि *"खाद्य कारोबा[illegible] श्री राजेश कुमार द्वारा इस संबंध में "बीकाजी बिकानेरी भुजिया" की खरीद का कोई [illegible] ना स्थल पर*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत नहीं किया था।" एंव आवेदन के साथ संलग्नक 1 लगा. 16, पेज सं0 1 लगा. 56 में भी अप्रार्थी सं0 4 व 5 के द्वारा उक्त जब्त माल के विरूद्ध जारी किसी भी प्रकार का बीजक, केशमेमो, बिल नहीं हैं। उक्त धारा से स्पष्ट है कि आवेदक अप्रार्थी सं0 4 व 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार नहीं कर सकता हैं, ना ही अप्रार्थीगण के रूप में शामिल कर सकता है। अप्रार्थी सं0 4 व 5 को गलत एवं विधि विरूद्ध पक्षकार जानबूझकर अपने गलत मकसद एवं निजि स्वार्थ को पूरा करने हेतु बनाया है, इस कारण कार्यवाही ड्रोप कर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश फरमाया जावे। उक्त तथ्य का खंडन परिवादी अभियोजन के द्वारा नहीं किया गया है।

4. यह कि अप्रार्थी सं0 1 लगा. 3 के द्वारा अपने जवाब दिनांकित 05.09.2024 की मद सं0 2 में मिथ्या गलत/तथ्य अंकित किया है जिसका खंडन परिवादी के द्वारा मद सं0 8 में अंकित है कि ***"खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश कुमार द्वारा इस संबंध में "बीकाजी बिकानेरी भुजिया" की खरीद का कोई बिल घटना स्थल पर प्रस्तुत नहीं किया था।"*** हैं कि प्रतिवादी 1 लगा. 3 के पास किसी भी प्रकार का वैध इन्वास नहीं थी। प्रतिवादी के द्वारा एक फर्जी बिल चीजनदास सन्तुमल फर्म का पेश की है, लेकिन इन्वास फर्जी होने के कारण जवाब में बीजक सं0 दिनांक अंकित नहीं है। फर्जी दस्तावेज होने के कारण कथित इन्वास अपठनीय है, जिस पर क्रेता विपक्षी सं0 1 लगा. 3 का नाम, जी0एस0टीन0 संख्या, बैच संख्या, विनिर्माण एवं अवसान तिथी अंकित नहीं है, ना ही साक्ष्य है कि उक्त फर्म के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 को बेचान किया हैं। ना ही कथित फर्म प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार है, ना ही प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा रेल्वे में आपूर्ति हेतु अधिकृत किया है, ना ही बेचान बाबत् बीजक/इन्वास है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 के द्वारा उक्त सामग्री लगभग 66–67 रूपये में रेल्वे को आपूर्ति की जाती है जबकि प्रतिवादी फर्म 1 लगा. 3 के द्वारा क्रय मूल्य 95/– (पिन्चानवे रूपये) अंकित है, जो निर्धारित धनराशि से अधिक हैं कोई भी क्रेता अधिक मूल्य पर सामग्री खरीद नहीं करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपठनीय दस्तावेज साक्ष्य के रूप ग्राहय नहीं है।

5. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 के द्वारा जबाव दिनांकित 05.09.2024 में आवेदक के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाएं है कि " बिल की फोटो प्रति लेने से इंकार कर दिया।" जबकि उक्त अभिकथन का कोई साक्ष्य नहीं है।

6. यह है कि भारतीय रेल्वे को आपूर्ति होने वाली सामग्री पर नियमानुसार रेल्वे हेतु बेचना अंकित होता हैं, जबकि कथित माल/सामग्री पर इसकी कोई छाप नहीं है ना ही विपक्षी सं0 1 लगा. 3 एवं चीजनदास प्रतिवादी सं0 4 व 5 के ग्राहक हैं ना ही उक्त लोगों को प्रतिवादी फर्म के द्वारा माल सप्लाई किया हैं। प्रतिवादी सं0 1 एवं 3 के द्वारा रेल्वे नियमों के विरूद्ध प्रतिवादी सं0 4 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य फर्म से डूप्लीकेट माल/सामग्री खरीद–बेचान करना साबित हैं रेल्वे नियमों का उल्लंघन के विरूद्ध फर्म के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत है। रेल्वे प्लेटफार्म पर संचालित खाद्य स्टॉल केवल रेल्वे द्वारा अधिकृत विक्रेता से ही सामग्री खरीद की जा सकती है, अनाधिकृत विक्रेता से सामग्री खरीद कर बेचान भी दण्डनीय अपराध चोरी है।

7. यह कि आवेदक के द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की है क्योंकि उक्त [illegible] धारा 27 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं0 1 लगा. 3 के द्वारा उक्त धारा 27 के नियम सं0 2 (ख), [illegible] 2(घ) का का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा था या नहीं इस बाबत [illegible] आरोप प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस कारण अप्रार्थी सं0 4 व 5 के विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्टया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

8. यह कि आवेदक के द्वारा अपने आरोप में वर्णित नहीं किया है कि पैकेट के ऊपर कौन–कौन शर्ते एवं सावधानियां अंकित है, उक्त नियमों की पालना की जा रही थी या नहीं, खाद्य सामग्री को रेल्वे स्टेशन पर खुले में रखी जाती है, उस पर सीधी तेज धूप, बारिश, सीलन का सीधा असर पडता हैं, खाद्य सामग्री के पास ही प्रतिदिन तेल व अन्य अवयव के सामग्री (पकौडे, कचोरी, पुडी, सब्जी) बनाई जाती हैं। मौसमी प्रभाव के कारण खाद्य सामग्री में परिवर्तन आना स्वाभाविक हैं, यदि खाद्य सामग्री का उचित भण्डारण नहीं हो। इसका खंडन अभियोजन अधिकारी के द्वारा नहीं किया हैं ना ही खंड़न बाबत साक्ष्य प्रस्तुत किया है प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 के द्वारा अपने जवाब के मद सं0 3 में वर्णित तथ्यों का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं।

9. यह कि अप्रार्थी सं0 4 व 5 कंपनी के उत्पादन उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं कंपनी स्तर पर गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है ना ही उत्पाद मिसब्राडिंग हैं। अप्रार्थी कंपनी को बदनाम करने हेतु कई व्यक्तियों द्वारा फर्जी एवं डुप्लीकेट, घटिया/निम्नस्तरीय खाद्य सामग्री का विनिर्माण कर, स्थापित कंपनी के फर्जी पैकेट, रैपर में हूबहू पैकिंग में अधिकाधिक लाभ कमाने की मंशा से खुले बाजार/रेल्वे स्टेशन पर बेचान हो रहा हैं, उक्त सामग्री भी फर्जी/डुप्लीकेट है। आवेदक द्वारा जब्त सामग्री डुप्लीकेट हैं, इस संबंध में कोई भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया हैं।

10.यह कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विक्रय रसीद नियमानुसार वैद्य नहीं है, बल्कि खाद्य अधिकारी द्वारा प्रि–प्रिटेंड फॉर्मेट है, नियमानुसार विक्रय पत्र पर जी0एस0टी0 सं0 एवं लाईसेंस व अन्य तथ्य अंकित होना अनिवार्य है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

11.यह कि आवेदक के द्वारा अप्रार्थी सं0 4 व 5 को बदनाम करने की नियत से ही किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है बल्कि स्वयं के अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारी को मिलीभगत करने हेतु गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाएं हैं, उक्त गवाह के द्वारा ही अन्य समस्त कार्य जैसे सैंपल को लाना, ले जाना व अन्य कार्य किए हैं जो कि पद के विरूद्ध हैं। जबकि प्लेटफार्म पर अनेक स्टॉल लगी हुई हैं एवं रेल्वे के अधिकारी/कर्मचारी हर समय मौजूद होते हैं। लेकिन अपने गुप्त मकसद एंव निजी स्वार्थ को पूरा करने हेतु फर्जी गवाह गढ़ा गया है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

12.यह कि आवेदक के द्वारा जो मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो कम्प्यूटर द्वारा घटना से पूर्व ही प्रि–प्रिंटेड तैयार था, जिसमें पूर्व में ही इबारत अंकित है कि ''मौजूद यात्रियों को गवाही देने के लिए बुलाया लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ।'' जिससे मेरे साथ मौजूद श्री .... बतौर गवाह मौजूद रहा।'' उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा पूर्व नियोजित योजना के तहत पूर्व में साक्ष्य गढ लिया था कि उक्त स्थान पर कोई भी यात्री गवाही देने नहीं आयेगा। ना ही गवाही देने बाबत् किसी भी यात्री, रेल्वे स्टेशन पर मौजूद अन्य दुकानदार, रेल्वे कर्मचारी, अधिकारी को नोटिस दिया है पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक की गलत मंशा प्रारंभ से ही थी, इस कारण उक्त दस्तावेज पूर्व में प्रिंट करवाकर लाया था। जो कि अवैध व कानून के द्वारा दण्डनीय है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

13. यह कि आवेदक के द्वारा एक ***पत्रांक स0 0602 दिनांक 23/08/2023*** [illegible] थी [illegible] 4 व 5 के पते पर भेजना बताया गया है जिसमें फार्म–8 के अंतर्गत [illegible] लेकिन [illegible] फार्म की अप्रार्थी न तो पत्रावली में फार्म–8 की प्रतिलिपि संलग्नक है ना ही अप्रार्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। आवेदक के द्वारा कथित जब्त सामग्री का ***अवसान दिनांक 16/07/2023*** अंकित हैं उक्त तिथी के पश्चात उक्त पत्रांक प्रेषित करना विधि विरूद्ध हैं। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है, ना ही दस्तावेज इन्वास/बिजक उपलब्ध करवाया है कि उक्त सामग्री की आपूर्ति प्रतिवादी सं0 4 व 5 के द्वारा की गई है।

14.यह कि कथित जब्त सामग्री की फर्द जब्ती व अन्य कार्यवाही अप्रार्थी के समक्ष नहीं की गई है। गवाह आवेदक के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं तथा कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा प्रि–प्रिंटेड है, जो कि विधि द्वारा निषेध फर्द जब्ती के अंतर्गत आती है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

15.यह कि आवेदक के द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेज कम्प्यूटर द्वारा प्रि–प्रिंटेड हैं एवं गवाह को पूर्व में ही साथ लेकर पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत कार्यवाही की है, उक्त कार्यवाही का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं होने एवं कार्यवाही अप्रार्थी सं0 4 एवं 5 की अनुपस्थिति में होने के कारण, एवं कार्यवाही से पूर्व ही घटना से संबंधित तथ्य प्रि–प्रिंटेड कर साक्ष्य गढना लोकसेवक के कर्तव्य के विरूद्ध है। आवेदक के द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग किया है। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया है।

16.यह कि आवेदक के द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग कर बिना उचित साक्ष्य बीजक, बिल के अप्रार्थी सं0 4 व 5 को पक्षकार बनाया हैं एवं नियम सं0 26(4) एवं धारा 27 के नियम सं0 2(ख), 2(घ), 2(ड), 2(घ) का पालन किया बिना ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, एवं गवाह एवं कम्प्यूटर द्वारा प्रि–प्रिंटेड दस्तावेज को पूर्व नियोजित मकसद को पूरा करने हेतु निजि स्वार्थवश, हैरान–परेशान करने, स्थापित कंपनी को बदनाम करने पक्षकार बनाया है इस कारण कार्यवाही ड्रोप फरमाया जावे। अभियोजन के द्वारा उक्त तथ्य का खंडन नहीं किया हैं।

17.यह कि आवेदक के द्वारा प्रतिवादी सं0 4 व 5 से *पत्रांक 23/02/2023* को आवश्यक दस्तावेज भिजवाने बाबत पत्र भेजा गया है लेकिन उक्त पत्रांक पर भी सामग्री की आपूर्ति बाबत तथ्य अंकित नहीं किए हैं, प्रतिवादी फर्म 4 एवं 5 ने *उक्त पत्रांक का जबाव पत्रांक 711 दिनांक 27/02/2023* को दिया हैं, जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि "हमे आगे की कार्यवाही से अवगत करवाने का श्रम करें।" लेकिन उक्त दस्तावेज किस संदर्भ में मांगे हैं का अंकन नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही पूर्णतः संदिग्ध एवं एकपक्षीय है।

18.यह कि आवेदन के द्वारा घटना का कोई भी फोटोग्राफ व विड़ियो संलग्नक नहीं किए हैं कि उक्त कार्यवाही घटना स्थल पर की गई है ना ही स्वतंत्र साक्षी को नोटिस देने बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर है, ना ही अप्रार्थी सं0 4 एवं 5 के प्रतिनिधि को उक्त कार्यवाही के दौरान नोटिस दिया। ना ही फूड टेस्ट अधिकारी के बयान एवं जिरह लेखबद्ध की है इस कारण उक्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया संदेहपूर्ण है, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाव का कोई भी खंडन आवेदन के द्वारा नहीं किया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब एवं तथ्यों से [illegible] है कि आवेदक के द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य बीजक/इन्वास के विधि विरूद्ध पक्षकार [illegible] है जबकि अन्य अप्रार्थी के द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की मंशा से [illegible] सजा से बचने हेतु फर्जी दस्तावेज अपठनीय इन्वास, बिना नाम, बेच [illegible] सं0 के गढकर पेश किया है रेल्वे आपूर्ति नियमों के अनुसार संचालित स्टॉल/दुकानदार अना[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharm
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रेता से माल खरीद नहीं सकता है। अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 लगा. 3 एवं अन्य किसी भी पक्षकार को माल का बेचान नहीं किया है ना ही आवेदक के द्वारा घटना की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी की है ना ही स्वतंत्र गवाह पेश किए है ना ही फूड टेस्टिंग रिपोर्ट के विरूद्ध विशेषज्ञ के बयान/जिरह की है, ना ही संपूर्ण फूड टेस्टिंग रिपोर्ट पत्रावली पर है, अप्रार्थी सं0 4 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप का आदेश फरमाया जावे। अन्य आदेश जो अप्रार्थी के पक्ष में हो फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/284/एक्ट/2023/345 दिनांक 15.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण संख्या 1 लगा. 3 द्वारा पेश की गई बहस में आवेदक के द्वारा बिल की फोटो प्रति नहीं लेने का आरोप लगाया है जबकि अभियुक्त सं0 1 लगा. 3 द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किए गए मैसर्स चीजनदास सन्तुमल के बिल पर विक्रेता फर्म का नाम नहीं है जिससे यह स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त बिल अभियुक्त सं. 1 लगा. 3 के पक्ष में जारी किया गया हो। अतः अभियुक्त संख्या 1 लगा. 3 द्वारा स्वयं की फर्म के नाम जारी अग्रिम बिल पेश नहीं करने के कारण मैसर्स चीजनदास सन्तुमल को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सील्ड पैकेट के लेबलिंग के आधार पर अभियुक्त संख्या 4 व 5 को पक्षकार बनाया गया है। अभियुक्त संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता का यह कथन कि उक्त मिसब्राण्डेड बीकाजी बीकानेरी भुजिया का नमूना उनकी फर्म का नहीं हैं, डुप्लीकेट है मान्य नहीं है। एफ.एस.ओ. के द्वारा बीकाजी बीकानेरी भुजिया के सील्ड पैकेट पर लेबल पर अंकित एफ.एस.एस.आई. लाइसेन्स नंबर–10016013001074 के तहत उपरोक्त नमूना पैक किया गया एवं वर्तमान में बिकाजी के सभी खाद्य पदार्थों पर एफ.एस.एस.आई. लाईसेंस नम्बर–10016013001074 का अन्य उत्पाद जैसे बीकानेर बीकाजी सादा भुजिया, आलू भुजिया, चिप्स आदि के पैकेट का अवलोकन करने पर सभी सील्ड पैकेटों पर एक समान एफ.एस.एस.आई. लाईसेंस उपलब्ध पाया गया। कंपनी को एफ.एस.ओ. द्वारा फार्म सं. 5ए की प्रति भेजी गई एवं कम्पनी से दस्तावेज मांगने पर कंपनी के द्वारा दस्तावेज एफ. एस.ओ. को प्रस्तुत किये गये। उक्त उत्पाद के डुप्लीकेट होने पर कंपनी द्वारा संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती, किन्तु उक्त उत्पाद के संबंध में कंपनी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 लगा. 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इससे उपरोक्त खाद्य पदार्थ इसी कंपनी का होना स्पष्ट होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एफ.बी.ओ. द्वारा घटना स्थल पर किसी प्रकार का बिकाजी बीकानेरी भुजिया सील्ड पैकेट का खरीद का कोई बिल, बीजक नहीं दिया गया। इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने हेतु एफ.एस.ओ. के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को बिल प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया लेकिन खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। घटना स्थल पर उपलब्ध खाद्य नमूना बिकाजी बीकानेरी भुजिया सील्ड पैकेट पर [illegible] एवं मार्केटिंग लेबल पर अंकित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को नोटिस भेजा एवं इन[illegible] बनाया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 20[illegible] नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दो[illegible] सिद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharm
Date: 2025.12.11 10:39:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** ''Bikaji Bikaneri Bhujia'' का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 4 लगायत 5 पर संयुक्त रूप से 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.10.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Veri
Digitally signed by San
Date: 2025.12.11 10:39
Reason: SelfAttested